न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 34 / 2019

अनवान

1. श्री बसन्ती देवी पत्नि श्री भंवर लाल दरोगा नि. कन्या पाठशाला के पास हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. बद्री लाल पिता श्री भंवर लाल गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. रतन लाल पिता श्री भंवर लाल गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. मदन लाल पिता श्री भंवर लाल गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. जीवा लाल पिता श्री भंवर लाल गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. तुलसी बाई पुत्री श्री देबी लाल निवासी गुर्जर मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
6. बसन्ती बाई पुत्री श्री देबी लाल गुर्जर नि. गुर्जर मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. नाथु लाल पिता श्री नाराण दरोगा नि. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. लीला देवी पुत्री श्री भंवर लाल गुर्जर नि. गुर्जर मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. गीता देवी पत्नि श्री भंवर लाल गुर्जर निवासी गुर्जर मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. दुर्गा देवी पत्नि श्री भंवर गुर्जर नि. गुर्जर मोहल्ला हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
11. ओम पिता श्री चांदमल सोनी स्वर्णकार निवासी हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
12. बृजमोहन पिता जमना लाल पारीक निवासी रेल्वे स्टेशन कविनगर हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
13. प्रकाश चन्द्र पिता रोशन लाल जैन नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
14. सागर मल पिता श्री भंवर लाल बाफना नि. कविनगर हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 01—04—2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 809 की कृषि भूमि की आ.न. 1069/1 रकबा 00.2655 है. कुल किता 01 रकबा 00.2655 है. भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1 से 4, 8 से 11 व 14 [illegible] सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्य[illegible] लाई जाती है।

विपक्षी संख्या 05,06,07,12,13 अदम तामील प्राप्त। इस पर [illegible] पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 05,06,07,12,13 के विरुद्ध कोई कार्यवाही [illegible] सुनवाई हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का [illegible] कथन रखते 05,06,07,12,13 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है [illegible] प्रा.पत्र में विपक्षी कम

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:57:19 IST
Reason: SelfAttested

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 809 की कृषि भूमि की आ.न. 1069/1 रकबा 00.2655 है. कुल किता 01 रकबा 00.2655 है. भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/– पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 01/04/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:57:19 IST
Reason: SelfAttested